अभिषेक प्रिंटर्स, डूंगला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी श्री रतन लाल पिता शंकर लाल अहीर नि० पदमपुरा तहसील डूंगला की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश योगी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर० टी० ए० का विपक्षी श्री उदय लाल पिता शंकर लाल अहीर श्रीमती माया पिता शंकर लाल अहीर निवासी पदमपुरा श्रीमती रामकन्या पिता शंकर लाल अहीर व श्रीमती मांगी बाई पत्नी शंकर लाल अहीर निवासी पदमपुरा के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की एवं प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 तक के पिता एवं अन्य विपक्षीगण के स्वामित्व की खाता संख्या 91 में वर्णित आराजीयात ग्राम पदमपुरा पटवार मण्डल पालोद में स्थित है जिसका आराजी नम्बर 1, 164, 184, 186, 187, 188, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 305, 319, 329, 330, 336, 344, 428, 95, 98, कुल किता आराजी 21 कुल रकबा 13.2280 है० भूमि व खाता संख्या 92 में वर्णित आराजी नम्बर 197, 198, 199, 200, 335 कुल किता 5 कुल रकबा 0.3540 है० भूमि स्थित है जो वादग्रस्त है। उक्त वादग्रस्त आराजियात पूर्व में मूल मुकब गोवर्धन जी स्वामित्व व आधिपत्य की थी जो एक मात्र स्वामी थे उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र शंकर लाल हुए जिनके नाम पर दर्ज हुई। वर्तमान में भी शंकर लाल जी के नाम पर दर्ज है जबकि शंकर लाल जी अपने जीवनकाल में दो विवाह किए जिसमें प्रथम पत्नी का नाम कंकु थी जिनकी मृत्यु हो गई है। कंकु बाई [illegible] पुत्र पैदा हुआ जो प्रार्थी है [illegible] बाई है जो वर्तमान में जीवित है [illegible] पुत्र दो पुत्रियाँ हुई जो इनके वारिस विपक्षी सं० 1 से लगायत 4 तक है। शंकर लाल जी [illegible] दिनांक 19-10-2021 को मृत्यु हो गई है मृत्यु से पूर्व	

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:31:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वर्क

डूंगला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	ही वादग्रस्त आराजियात में शंकर लाल के हक हिस्से में 1/2, 1/2 कर रखा था। जिसमें 1/2 हक हिस्सा प्रार्थी का एवं शेष 1/2 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 5 तक के हक हिस्सा में रखा गया इसी हक हिस्सा के अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षीगण काबिज काश्त है। तथा शांति पूर्वक अपने-अपने हक हिस्से की भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजियात पैतृक पुश्तैनी की होने से प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 तक के पिता ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही दिनांक 6-6-2018 को प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 के मध्य अपनी चल अचल सम्पत्ति का आपसी बंटवारा प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 की सहमति से एवं गवाहों कि मौजूदगी में व परिवार की उपस्थिति में स्वयं अपने हाथ से लिखकर प्रार्थी एवं विपक्षी 1 को दिया गया। जिसके अनुसार शंकर लाल जी के जीवित रहते हुए कृषि भूमि इनके पास रहेगी इनके 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद जमीन में प्रार्थी रतन लाल एवं विपक्षी उदयलाल दोनो भाईयों के रहेगी। यह भूमि शंकर लाल जी को विरासत से प्राप्त हुई है जिसमे प्रार्थी का 1/2 एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 तक का 1/2 हक हिस्सा शंकरलाल के द्वारा अपने जीवनकाल में ही कर दिया गया उसी हक हिस्सा के अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षी काबिज काश्त है। शंकर लाल जी की मृत्यु के उपरान्त विपक्षीगण प्रार्थी से विवाद करने व सम्पूर्ण भूमि में 1/2 हक हिस्सा [illegible] कराना चाहते है। तथा विपक्षीगण [illegible] 1/2 हक हिस्से से [illegible] विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश चाहा गया इस पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:31:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील उभय पक्ष की बहस को सुना गया। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया गया कि शंकर लाल जी अपने जीवन काल में अपनी कृषि भूमि को लिखापढ़ी कर रतनलाल व उदयलाल को 1/2, 1/2 हिस्सा कर दिया गया, कमिश्नर मौका रिपोर्ट के अनुसार भी 1/2, हिस्सा पर प्रार्थी एवं 1/2 हिस्सा पर उदयलाल काबिज काश्त है। अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन को हटाया जाना न्यायसंगत नहीं है। चूंकि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षी के पिता शंकर लाल के नाम पर है। और विवाद नहीं बढ़े इसलिए मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। विपक्षी के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया गया कि शंकर लाल के नाम जो कृषि भूमि दर्ज है वह मौरूसी जायदाद है, प्रार्थी द्वारा फर्जी दस्तावेज पेश किया गया प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा पेश किये गये दस्तावेज में मौरूसी जायदाद होने का उल्लेख नहीं किया गया है। HSA के आधार पर वैधानिक वारिसान होने से विपक्षीगण को खातेदार बनने से नहीं रोका जा सकता है। समझौता वारिसान की सहमति से ही संभव है। इसलिए प्रार्थी की T.I. खारिज किया जावे। उपरोक्तानुसार वकील उभय पक्ष की बहस को सुना जाने के पश्चात पत्रावली का गहनतापूर्वक अध्ययन कर परीक्षण किया गया तत्पश्चात पाया गया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में वर्णित वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं विपक्षी सं.1 से लगायत 5 तक के पिता शंकर लाल के नाम दर्ज रेकार्ड है। शंकर लालजी की मृत्यु हो चुकी है। शंकर लाल जी के दो पत्नियाँ थी जिसमें प्रथम कंकुबाई व द्वितीय मांगीबाई थी। कंकु बाई से एक पुत्र हुआ जो प्रार्थी रतन लाल है। कंकुबाई की मृत्यु होने से यही एक वारिस है जबकि मांगी के एक लड़का विपक्षी संख्या 1 विपक्षी संख्या 2 व 3 पुत्रियां तथा मांगी बाई स्वयं है जो वर्तमान समय में जीवितमान है। उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़	

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी एवं विपक्षीगण के पिता शंकर लाल द्वारा प्रार्थी को 1/2 हिस्सा की भूमि को एवं विपक्षी सं.1 को भी 1/2 हिस्सा दिया गया है जबकि विपक्षी सं.1 लगायत 5 तक ने प्रार्थी को 1/2 हक हिस्सा की भूमि नहीं देकर विपक्षीगण 1/5 हक हिस्सा की भूमि शंकर लाल जी दिनांक 19-10.2021 को मृत्यु होने के उपरान्त देना चाहते है। इसको लेकर पक्षकारों के मध्य हक अधिकारों को लेकर एक वाद प्रस्तुत होकर न्यायालय हाजा में जेरकार है जिसमें हक अधिकार व खातेदारी घोषणा का निर्धारण मूल वाद में तय होगा जिसमें समय लगने की संभावना बनी रहती है। तथा वर्तमान समय में शंकर लाल जी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए इनका विरासत का नामान्तरण लम्बित रखा जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थी ने शंकरलाल की भूमि में 1/2 हक हिस्सा होने का स्थगन आदेश विपक्षी के विरुद्ध प्राप्त कर लिया गया है जो खारीज किया जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. का अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। तथा न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में प्रसारित अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 22.12.2021 को खारीज किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़	

अभिषेक प्रिंटर्स, डूंगला-9413403527

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:31:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner